संख्या- 01 /2025/I/838087/2024 /71-3099-150-2024

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक 01 जनवरी 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में इलेक्ट्रिकल रिनोवेशन एण्ड रिपेयर वर्क फार जे0के0 कैंसर हॉस्पिटल, कानपुर का कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-एमई/निर्माण/2024-25/274, दिनांक 05.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर की अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में इलेक्ट्रिकल रिनोवेशन एण्ड रिपेयर वर्क फार जे0के0 कैंसर हॉस्पिटल, कानपुर का कार्य कराये जाने हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत क्रमश: रू0 28.90/- लाख (रूपये अट्ठाइस लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-031 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-22 में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख में से रू0 28.90/- लाख (रूपये अट्ठाइस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं आडिट कराये जाने की जिम्मेंदारी निदेशक/कार्यदायी संस्था की होगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. निदेशक/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
4. प्रायोजना की लागत के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति से पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताग पर 01 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण इकाई/निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. प्रायोजना पर सक्षम स्तमर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाए।
8. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
10. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
11. प्रायोजना हेतु कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। कालेज/संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए।
12. आगणन में प्राविधानित वे मदें जो डी0एस0आर0 में निहित है, का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसी मदें जो बाजार दरों पर आधारित है, उनके संबंध में यह मन्तव्य है कि कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराया जाये।
13. आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
14. आगणन में 10 प्रतिशत सेन्ट्रेज का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
15. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 28,90,000/- लाख (रूपये अट्ठाइस लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-031 लेखा शीर्षक-42100310522 जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू.

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर ।
6. कोषाधिकारी, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
8. वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in